बालकृष्ण बेहेरा एवं अन्य.

बनाम

सत्य प्रकाश दास

22 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

न्यायालय की अवमाननाः

विश्वविद्यालय में व्याख्याता का चयन - एक उम्मीदवार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देते हुए - तदनुसार परिणाम घोषित किया गया, लेकिन चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी गई - अवमानना याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति को नोटिस जारी किया गया कि नियुक्ति को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था - इस दौरान राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय के बाद के इस पद को समाप्त कर दिया, जिसमें कुलसचिव और कुलपति को दी गई तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया - निर्धारित : न्यायालय राज्य सरकार को किसी ऐसे पद के खिलाफ किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए परमादेश में निर्देश नहीं दे सकता है जिसे समाप्त कर दिया गया है - विश्वविद्यालय के क़ानून के संविधि 4 (1) के दूसरे परंतुक को देखते

हुए, क्योंकि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी और पद को समाप्त कर दिया गया था, चयन के बाद भी, उम्मीदवार पद के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, और न ही अदालत की अवमानना होती है - इस प्रकार, नोटिसियों के खिलाफ कोई अवमानना नहीं बनती है - उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है-अवमानना की सूचना-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226।

शंकरसन दास बनाम भारत संघ, [1991] 3 एस. सी. सी. 47, पर निर्भर किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 4179/2006

(विविध क्षेत्रों में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 24.1.2006 मामला सं. 151/2005 से)

अपीलार्थी की ओर से जनरंजन दास और श्वेतकेतु मिश्रा।

उत्तरदाता के लिए बी. के. पटनायक, ऋत्विक पांडा और जन कल्याण दास।

न्यायालय का आदेश दिया गया-

आदेश

पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया ।

अनुमति दी गई।

यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2006 के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी और उन्हें अवमानना के मामले में आगे की कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

वर्तमान अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य हैंः कि प्रतिवादी ने उत्कल विश्वविद्यालय ऑफ कल्चर के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की और इस परमाआदेश की मांग की कि विश्वविद्यालय को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन में व्याख्याता के पद के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए । उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 10. 03. 2005 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका का निपटारा किया और निर्देश दिया कि "यह एक उपयुक्त मामला है जहां विरोधी पक्षों को चयन की प्रक्रिया को पूरा करने और परिणाम प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य रूप से परमादेश के रूप में एक रिट जारी करके निर्देश दिया जाना चाहिए।" न्यायालय ने तदनुसार चयन की प्रक्रिया को पूरा करने और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन में व्याख्याता के पद के संबंध में परिणाम को उक्त आदेश की सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर प्रकाशित करने के लिए विरोधी पक्ष 1 और 2 को आदेश देते हुए परमादेश के रूप से एक रिट जारी की, यह आगे कहा

गया कि "यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि परिणाम की घोषणा के बाद, विरोधी पक्ष 1 और 2 द्वारा परिणाम का पालन करना होगा।"

इस आदेश को पारित करने के पश्चात विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन नहीं किए जाने पर, प्रतिवादी (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता) द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। अवमानना याचिका के जवाब में, यहाँ अपीलकर्ताओं (विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति) ने कहा कि उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम संविधि, 2001 के संविधि 4 (3) को देखते हुए चूंकि प्रबंधन बोर्ड चयन समिति की सिफारिशों से भिन्न था, इसलिए मामले को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को भेजा जाना था। इस बीच उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.3.2005 के फैसले की कथित अवज्ञा के लिए अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया, लेकिन परिणाम प्रकाशित होने के कारण, अवमानना कार्यवाही को हटा दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि इसमें प्रत्यर्थी के चयन के बावजूद, प्रत्यर्थी को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था। इसलिए, उन्होंने एक और अवमानना याचिका दायर की, जिस पर 24.1.2006 और 27.1.2006 के विवादित आदेश पारित किए गए। उक्त आदेशों द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थियों द्वारा कारण बताने के लिए यहाँ दिए गए उत्तर में तर्क यह था कि उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर प्रथम संविधि , 2001 के क़ानून 4 (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, सभी नियुक्तियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम संविधि, 2001 के संविधि 4 (1) का दूसरा प्रावधान इस प्रकार हैः

बशर्ते कि प्रोफेसर, डीन, विशेषज्ञ और सलाहकार सहित सभी शिक्षण संकायों की नियुक्ति धन की उपलब्धता और राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन हो।

राज्य सरकार ने यह कदन उठाया कि पूरे ढांचे के पुनर्गठन/ पुनर्संगठन ठन को देखते हुए दक्षिण और दक्षिण पूर्व पूर्व एशियाई अध्ययन में व्याख्याता के पदों को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए इसमें प्रतिवादी को उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति के लिए मंजूरी और उक्त पदों के लिए धन देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा, लेकिन राज्य सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया और पदों को समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी। इसके बाद, खंड पीठ ने दिनांक 24.1.2006 के विवादित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति (इसमें अपीलकर्ता) को 27.1.2006 पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 24.1.2006 और 27.1.2006 के विवादित आदेशों के खिलाफ, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या न्यायालय राज्य सरकार को किसी ऐसे पद के खिलाफ किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्देश दे सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस सवाल का हमारा जवाब नकारात्मक है।चयन के बाद भी प्रत्यर्थी को पद पर नियुक्त होने का कोई अलोप्य अधिकार नहीं है क्योंकि चयन नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके लागू किया जा सकता हो । इस दृष्टिकोण में हम शंकरसन दास बनाम भारत संघ, [1991] 3 एस. सी. सी. 47 के मामले से इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का समर्थन प्राप्त हैं। चूँकि प्रत्यर्थी के पास पद के लिए केवल एक अपक्व अधिकार है, इसलिए यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ अवमानना का कोई सवाल ही नहीं है। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक निर्देश चयन प्रक्रिया को पूरा करने और परिणाम प्रकाशित करने का था। यह अपीलार्थियों द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं था जिसमें निर्देश

दिया गया हो कि प्रतिवादी की नियुक्ति की जाए। इसलिए हम यह देखने में विफल रहते हैं कि अदालत की कोई अवमानना होती है।

इसके बाद कुछ बदलाव हुए और राज्य सरकार ने विचाराधीन पदों को समाप्त कर दिया और विश्वविद्यालय की संरचना को फिर से व्यवस्थित किया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में उच्च न्यायालय अपीलार्थियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का निर्देश नहीं दे सकता था, जब प्रतिवादी को पद पर नियुक्ति के लिए परमादेश की मांग करने का कोई पूर्ण या संपूर्ण अधिकार नहीं है। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश का पालन किया है और चयन की प्रक्रिया को पूरा किया है और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर परिणाम प्रकाशित किए हैं।विश्वविद्यालय के कानूनों के संविधि 4 (1) के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, और राज्य सरकार ने विचाराधीन पदों को समाप्त कर दिया था, इसलिए प्रत्यर्थी पद के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, और न ही अदालत की कोई अवमानना है।

पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ कोई अवमानना नहीं की गई है और 24.1.2006 और 27.1.2006 दिनांकित आदेशों को तदनुसार दरकिनार किया जाता है

और अपीलार्थियों के खिलाफ अवमानना की सूचना को खारिज कर दिया गया है।

अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।